भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1088

उत्तर देने की तारीख: 04.12.2024

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना

1088. श्री एस. कल्याणसुन्दरम :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 'नि:शुल्क कोचिंग योजना' के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, पिछले पांच वर्षों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के बारे में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; ताकि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र अधिक संख्या में इसका लाभ उठा सकें;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित और खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के सफल संचालन जैसे इसका लाभ लेने वाले छात्रों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना और उसके बाद रोजगार या शिक्षा संबंधी दीर्घकालिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जाति और अन्य पिछडे वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कार्यान्वयन देश भर में पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	1345
2020-21	2112
2021-22	1761
2022-23	558
2023-24	223
2024-25	1237 (अभी तक)

(ख): योजना के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, सोशल मीडिया अभियान चलाने, वेबसाइट पर योजना के दिशा-निर्देशों के ब्यौरे को अपलोड करने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

(ग): यह योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रों के आधार समर्थित बैंक खाते में वित्तीय सहायता जारी की जाती है। विगत 5 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधियां (आरई) (रू. करोड़ में)**	**व्यय (रू. करोड़ में)**
2019-20	30.00	13.26
2020-21	30.00	11.96
2021-22	30.00	14.98
2022-23	27.00	18.41
2023-24	14.82	7.76
2024-25	18.00 (प्रस्तावित)	9.26 (अभी तक)

(घ): पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जा रही योजना का सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए योजना की दूसरी किस्त निर्धारित सफलता दर के मानदण्ड, जो प्रतिस्पर्धी/प्रवेश परीक्षा के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, को पूरा करने के बाद ही जारी की जाती है।

****